(1)

<u>न्यायालयः</u>— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

> <u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 143 / 10</u> संस्थापन दिनांक—12 / 8 / 2014

चन्द्रशेखर उर्फ बच्चूलाल पुत्र रामभरोसी, उम्र—45 साल निवासी ग्राम माहो थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड

-----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रू द्ध

जगन्नाथ पुत्र ग्यासीराम शर्मा, 60 साल निवासी ग्राम माहों थाना मालनपुर जिला भिण्ड

———प्रतिपुनरीक्षणकता / अनावेदक

न्यायालय—अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, गौहद जिला—भिण्ड के प्रकरण कृमांक—2/10 धारा—145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक 12/3/2010

से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

—::— आ दे श*—*::—

(आज दिनांक 12, **अगस्त** 2014 को पारित किया गया)

- 01. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—399 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय एस.डी.एम. गोहद द्वारा प्रकरण कमांक—02/10 \times 145 द.प्र.सं. में पारित आलोच्य आदेश दिनांक—12/3/2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का आवेदनपत्र धारा—145 द.प्र.सं. पर कोई विधि सम्बत् आदेश पारित किए बिना ही आवेदनपत्र 12/3/10 को निरस्त कर दिया ।
- 02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के मध्य दीवानी दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।
- 03. पुनरीक्षणकर्ता की याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा माहों में आवेदनपत्र में वर्णित विवादित सर्वे नंबरों की भूमि स्थित है । इस भूमि के मृतक श्यामलाल दत्तक पुत्र भीमसेन भूमिस्वामी थे, जो अपने जीवन काल में विधिवत 15/5/2009 को वसीयतनामा निष्पादित करके आवेदक को वारिस नियुक्त कर गये और उनकी दिनांक—6/1/2009 को मृत्यु के बाद

आवेदक उनके वारिस हैं और काबिज जायदाद हैं । दिनांक—15/2/2010 को अनावेदक जबरन लटठ के बल पर आवेदक की बोयी हुई फसल को काटने लगा, जिससे शांति भंग होने की संभावना पर आवेदक ने 145 द.प्र.सं. का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । जिसे वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही एवं आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना आवेदन बिना कोई आदेश किए निरस्त कर दिया, जो काबिल निरस्ती योग्य है ।

- 04. अतः आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि का कब्जेदार होने एवं अनावेदक भविष्य में उक्त कब्जा को लेकर झगडा फसाद न करने संबंधी आदेश पारित कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।
- 05. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है ।
- 06. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं।
- 07. विचारणीय यह है कि—''क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12/3/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?''

-::- निष्कर्ष के आधार -::-

08. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । मूल अभिलेखागार कलैक्ट्रट भिण्ड में जमा होना बताया है । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि दीवानी वाद चलने से पुनरीक्षण याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं । किन्तु पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल विवाद ग्राम माहों की जिस विवादित भूमि के संबंध में कब्जे को लेकर था, उसके बाबत स्वत्व संबंधी सिविल वाद पक्षकारों के मध्य विचाराधीन धारा—145 द.प्र.सं. की कार्यवाही के पूर्व था और विद्वान एस.डी.एम. द्वारा इसी आधार पर उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने से इंकार किया गया है और यह सुस्थापित विधि है कि जहां स्वत्व के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन हो, वहां धारा—145 द.प्र.सं. के अंतग्रत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । ऐसे में विद्वान एस.डी.एम. गोहद का आलोच्य आदेश

(3) <u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 143 / 10</u>

दिनांक—12/3/2010 विधि सम्वत् होकर पुष्टि योग्य है और प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में कोई बल नहीं है ।

- 09. फलतः आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है ।
- 10. आदेश की प्रति एस.डी.एम. गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जावे ।

दिनांक 12-08-2014

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड